आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 351/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जयपुर स्टॉक एक्सचेन्ज बिल्डिंग, ब्लॉक नं. 4, जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. राजपूताना कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.,
   पता :– 13, परिवहन मार्ग, सिविल लाईन रेलवे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।
2. श्री गंगा शरण ताम्बी,
   पता :– 482–483, नेमीसागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर
   एवं बी–51, नेहरू नगर, जयपुर।
3. श्रीमती अनिता ताम्बी,
   पता :– 482–483, नेमीसागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर।
4. श्रीमती सुशीला देवी ताम्बी,
   पता :– 482–483, नेमीसागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर
   एवं बी–51, नेहरू नगर, जयपुर।
5. श्री अनिल ताम्बी,
   पता :– 482–483, नेमीसागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर।
6. श्री रविन्द्र ताम्बी,
   पता :– 369, नेमीसागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर
   एवं बी–51, नेहरू नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :– श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक : 15.10.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स राजपूताना कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के स्वामित्त्व की संपत्ति 1. प्लॉट संख्या डी–9, हनुमान नगर डी योजना, वैशाली नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 691.28 वर्गगज, 2. प्लॉट संख्या डी–26, हनुमान नगर डी योजना, वैशाली नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 594.62 वर्गगज को बंधक रख कर एवं मैसर्स राजपूताना कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, 13 परिवहन मार्ग, नियर सिविल लाईन रेलवे क्रॉसिंग, जयपुर स्थित चल संपत्ति **Exclusive charge over current assets and movable fixed assets of the company etc.** को हाईपोथिकेट कर दिनांक 27.07.2020 को राशि 01,31,00,000/–रूपये, दिनांक 22.03.2023 को राशि 06,50,00,000/– रूपये, राशि 06,50,00,000/– रूपये कुल राशि 14,31,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.06.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक/हाईपोथिकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 14,31,00,000/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक/हाईपोथिकेशन के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 06,96,62,225.71/— रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.06.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक/हाईपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक/हाईपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स राजपूताना कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के स्वामित्व की बंधक ...त्ति 1. प्लॉट संख्या डी–9, हनुमान नगर डी योजना, वैशाली नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 691.28 वर्गगज, 2. प्लॉट संख्या डी–26, हनुमान नगर डी योजना, वैशाली नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 594.62 वर्गगज एवं मैसर्स राजपूताना कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, 13 परिवहन मार्ग, नियर सिविल लाईन रेलवे क्रॉसिंग, जयपुर स्थित हाईपोथिकेटेड चल संपत्ति Exclusive charge over current assets and movable fixed assets of the company etc. का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 15.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर